Office of the Comptroller & Auditor General of India
New Delhi -110 124

(For exclusive use in IA&AD and not to be quoted or published elsewhere)
Circular No.28- Staff (App 1)/2018
No.1270 - Staff (App 1)/15-2015
Dated 07.09.2018

To

1. All Heads of Department in the IA&AD
2. Director General (Examination)
3. Principal Director (Commercial)
4. Principal Director (Information System)
5. Director (P)

Subject: **Recruitment Rules to the post of Data Entry Operator Grade 'D' in Indian Audit and Accounts Department.**

Sir/Madam,

I am to enclose a copy of revised Recruitment Rules to the post of Data Entry Operator Grade 'D' in Indian Audit and Accounts Department, notified in Gazette of India, Part II Section 3 Sub-Section (i) vide GSR No. 231 dated 23.07.2018. These rules have been notified in supersession of the Indian Audit and Accounts Department (Group 'C' Electronic Data Processing posts) Recruitment Rules 1994, in so far as they relate to the post of Senior console Operator.

2. As per Column 11 of the Schedule of the revised Recruitment Rules to the post of Data Entry Operator Grade 'D', the eligibility criteria for promotion to this post is Data Entry Operator Grade 'B' in level 5 of pay matrix (Rs 29200-92300) with six years regular service in the grade and have successfully completed two weeks of training as prescribed by the Department. Accordingly, the Cadre Controlling offices are requested to take up the issue regarding the training plan/module for training of eligible Data Entry Operator Grade 'B' with the Training Wing of Headquarters' Office.

3. Further, as per the RRs to the post of Data Entry Operator Grade 'D', the educational and other qualifications required for direct recruits given in Column 7 of the Schedule, shall be applicable for officials holding the post on deputation basis. Accordingly, the Cadre Controlling offices are requested to ensure that officials holding the post of Data Entry Operator Grade 'D' on deputation basis possesses the educational and other qualifications as required for direct recruits.

4. The receipt of this circular may be acknowledged.

Yours faithfully,

(V. S. Venkatanathan)
Assistant Comptroller and Auditor General (N)

रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003–05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 31] नई दिल्ली, जुलाई 29—अगस्त 4, 2018, शनिवार/श्रावण 7—श्रावण 13, 1940

No. 31] NEW DELHI, JULY 29—AUGUST 4, 2018, SATURDAY/SRAVANA 7—SRAVANA 13, 1940

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

वित्त मंत्रालय

(व्यय विभाग)

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 2018

सा.का.नि. 231.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 148 के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग (समूह 'ग' इलेक्ट्रॉनिक आंकड़े प्रक्रमण पद) भर्ती नियम, 1994 को, जहाँ तक उनका संबंध ज्येष्ठ कन्सोल ऑपरेटर के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग के मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय में आंकडा प्रविष्टि प्रचालक श्रेणी 'घ' पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग, (आंकड़ा प्रविष्टि प्रचालक श्रेणी 'घ') भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, और अर्हताएं आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगा ।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.आंकड़ा प्रविष्टि प्रचालक श्रेणी- "घ"।	443* (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय ।	स्तर -6, (35400-112400 रु.)।	चयन।	30 वर्ष से अधिक नहीं । **टिप्पण 1:** केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीती जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(7)
आवश्यक: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कम्प्यूटर उपयोजन या सूचना प्रौद्योगिकी अथवा कम्प्यूटर विज्ञान में बैचलर डिग्री । (ii) आंकड़ा प्रविष्टि कार्य के लिए 15000 की डिप्रैशन प्रति घण्टा से अन्यून कि गति परीक्षण कम्प्यूटर पर गति परीक्षण के माध्यम से अभिनिश्चित किया जाएगा । **टिप्पण 1 :** अर्हता, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएँ कर्मचारी चयन अयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है । **टिप्पण 2 :** अनुभव संबधी अर्हताएं उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएँ कर्मचारी चयन अयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा मे लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति:** भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
आयु: नहीं शैक्षिक अर्हता: नहीं ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों और प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष ।	50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा; 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)
प्रोन्नति :— वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 (29200-92300 रु.) में ऐसे आंकड़ा प्रविष्टि प्रचालक श्रेणी 'ख' जिन्होंने उस श्रेणी में छ: वर्ष नियमित सेवा की है और जिन्होंने विभाग द्वारा समय-समय पर यथाविहित दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो । **टिप्पण :** जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । **प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):** केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या विश्वविद्यालयों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्धसरकारी या कानूनी संगठनों अथवा स्वायत्त निकायों के अधीन ऐसे अधिकारी:— (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 (29200-92300 रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में छ: वर्ष सेवा की है; और (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक अर्हताएँ और विहित अनुभव है । **टिप्पण 1:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नही होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति, (प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:— 1. ज्येष्ठ उप महालेखाकार या निदेशक अथवा उप महालेखाकार या उप निदेशक या प्रशासन समूह का भारसाधक समतुल्य पंक्ति का एक अधिकारी - अध्यक्ष 2. ज्येष्ठ उप महालेखाकार या निदेशक अथवा उप महालेखाकार या उप निदेशक या समतुल्य पंक्ति का एक अधिकारी (एक भिन्न कार्यालय से जिसमें प्रोन्नति पर विचार किया जा सकता है) - सदस्य, और 3. ज्येष्ठ लेखा अधिकारी या ज्येष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी या लेखा अधिकारी या लेखापरीक्षा अधिकारी या समतुल्य पंक्ति का एक अधिकारी - सदस्य **समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति, (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:—** 1. ज्येष्ठ उप महालेखाकार या निदेशक अथवा उप महालेखाकार या उप निदेशक या प्रशासन समूह का भारसाधक समतुल्य पंक्ति का एक अधिकारी - अध्यक्ष 2. ज्येष्ठ उप महालेखाकार या निदेशक अथवा उप महालेखाकार या उप निदेशक या समतुल्य पंक्ति का एक अधिकारी (एक भिन्न कार्यालय से जिसमें पुष्टि पर विचार किया जा सकता है) - सदस्य, और 3. ज्येष्ठ लेखा अधिकारी या ज्येष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी या लेखा अधिकारी या लेखापरीक्षा अधिकारी या समतुल्य पंक्ति का एक अधिकारी - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।

[फा. सं. ए-12018/1/2015-ई.जी.]

निर्मला देव, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Expenditure)

New Delhi, the 23rd July, 2018

G.S.R. 231.—In exercise of the powers conferred by clause (5) of article 148 of the Constitution, and in supersession of the Indian Audit and Accounts Department (Group 'C' Electronic Data Processing posts) Recruitment Rules, 1994, in so far as they relate to the post of Senior Console Operator, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President after consultation with the Comptroller and Auditor General of India, hereby makes the following rules to regulate the method of recruitment to the post of Data Entry Operator Grade 'D' in the headquarters and field offices of the Indian Audit and Accounts Department, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Indian Audit and Accounts Department (Data Entry Operator Grade 'D') Recruitment Rules, 2018.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in the pay matrix.**—The number of posts, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit and qualifications, etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**-No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Comptroller and Auditor General of India may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Comptroller and Auditor General of India is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, he may, by order, and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward classes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Government of India from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Data Entry Operator Grade 'D'.	*443 (2018) *(subject to variation dependent on the workload).	General Central Service, Group 'B', Non- Gazetted, Non- Ministerial.	Level 6 (Rs. 35400-112400).	Selection

Age- limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
(6)	(7)	(8)
Not exceeding 30 years. **Note 1.** Relaxable for Government Servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government **Note 2.** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India. (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	**Essentials:** (i) Bachelor's Degree in Computer Applications or Information Technology or Computer Science of a recognised university or institute. (ii) A speed test of not less than 15000 key depressions per hour for data entry work to be ascertained through speed test on computer. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Staff Selection Commission or Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	Age : No; Educational qualification: No.

Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation / absorption grades from which promotion or deputation / absorption to be made
(9)	(10)	(11)
Two years for direct recruits and promotees.	50% by promotion failing which by deputation (including short term contract): 50% by direct recruitment.	**Promotion:** Data Entry Operator Grade 'B' in Level 5 in the pay matrix Rs.29200-92300 with six years' regular service in the grade and have successfully completed two weeks of training as prescribed by the department from time to time. **Note :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation (including short term contract):** Officers under the Central Government or State Government or Union Territories Administration or recognised research institutions or Universities or Public Sector Undertakings or Semi-Government or Statutory organisations or autonomous bodies,— (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; (ii) With six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level 5 in the pay matrix Rs. 29200-92300 or equivalent, in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualification and experience prescribed for direct recruits under column (7). **Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation (including short term contract). Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2 :** Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3 :** The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :— 1. Senior Deputy Accountant General or Director or Deputy Accountant General or Deputy Director or an officer of equivalent rank in-charge of administration group —Chairman	Consultation with Union Public Service Commission not necessary

2. Senior Deputy Accountant General or Director or Deputy Accountant General or Deputy Director or an officer of equivalent rank (from an office other than the one in which promotion is considered)	— Member and	
3. Senior Accounts Officer or Senior Audit Officer or Accounts Officer or Audit Officer or an officer of equivalent rank	—Member	
Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering conformation) consisting of :—		
1. Senior Deputy Accountant General or Director or Deputy Accountant General or Deputy Director or an officer of equivalent rank in-charge of administration group	—Chairman	
2. Senior Deputy Accountant General or Director or Deputy Accountant General or Deputy Director or an officer of equivalent rank (from an office other than the one in which confirmation is considered)	—Member, and	
3. Senior Accounts Officer or Senior Audit Officer or Accounts Officer or Audit Officer or an officer of equivalent rank	—Member	

[F. No. A-12018/1/2015-EG]
NIRMALA DEV, Dy. Secy.